न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी लसाडिया जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– श्री सुरेन्द्र बी पाटीदार आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 09 / 2012

तारीख दायरा–11.09.2012
तारीख निर्णय–29.11.2021

1. श्री मांगीलाल पिता प्यारा मेघवाल निवासी कालीभींत तहसील लसाडिया।

.....वादी

बनाम

1. मृतक श्री चुन्नीलाल पिता श्री प्यारा मेघवाल के बजाय
   1/1 श्रीमती गीता पत्नी चुन्नीलाल मेघवाल निवासी कालीभींत तहसील लसाडिया।
   1/2 श्री ललीत पिता चुन्नीलाल मेघवाल निवासी कालीभींत तहसील लसाडिया।
   1/3 श्री भरत पिता चुन्नीलाल मेघवाल निवासी कालीभींत तहसील लसाडिया।
   1/4 श्रीमती कला पुत्री चुन्नीलाल मेघवाल पत्नी भेरूलाल मेघवाल निवासी अमीराम तहसील बडीसादडी जिला चित्तोडगढ।
   1/5 श्रीमती सीमा पुत्री श्री चुन्नीलाल मेघवाल पत्नी प्रभुलाल मेघवाल निवासी जयसिंहपुरा तहसील बडीसादडी जिला चित्तोडगढ।
   1/6 श्रीमती मंजु पुत्री श्री चुन्नीलाल मेघवाल पत्नी कैलाश मेघवाल निवासी हाटोला तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ।
2. श्री भंवरलाल पिता प्यारा मेघवाल निवासी कालीभींत तहसील लसाडिया ।
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार लसाडिया।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, आर.टी. एक्ट

उपस्थित– वादी की ओर से– श्री मुकेश चोबीसा
प्रतिवादी की ओर से– एक तरफा

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के सजरा खानदान में मूल पुरूष लाला जी थे लाला जी के तीन पुत्र प्यारा, वगता एवं कजोड हुए, वगता लाऔलाद फोत हो चुका है। कजोड के दो पुत्र चन्दरिया एवं रतनलाल हुए जो भी लाऔलाद फोत हो चुके है। वगता जी एवं कंकु ने भी अपने जीवन काल में किसी व्यक्ति को गोद नही रखा न ही किसी के पक्ष में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज उनकी जायदाद बाबत लिखाया। वगताजी की मृत्यु के बाद वगताजी की पत्नी कंकु की सेवा चाकरी सब वादी ने की तथा वादी के घर पर ही वगता की पत्नी कंकु का देहान्त हुआ तथा कंकु वादी के साथ ही रहती थी और वादी की सेवा चाकरी से खुश थी उसने अपने जीवन काल में उसकी सारी चल अचल सम्पति मालिक मृत्यु के बाद वादी रहेगा बावत् घोषणा भी मोतबिर व्यक्तियों के सामने की, जिससे कंकु की मृत्यु के कंकु की सम्पति का वारिस वादी हुआ। वादग्रस्त भूमि मौजा कालीभींत पटवार क्षेत्र कालीभींत तहसील लसाडिया की जमाबन्दी संवत 2058 से 61 के खाता संख्या 12 में वर्णित आराजियात किता 4 कुल रकबा 6 बीघा 1 विश्वा है। उक्त आराजियात भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की

उपखण्ड अधिकारी
लसाड़िया, जिला–उदयपुर (राज.)

संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की होकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काविज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादग्रस्त भूमि संयुक्त स्वामित्व की होने से वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद होने से आये दिन कृषि कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है साथ ही मौके पर मौखिक विभाजन होने से सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को भूमि के विभाजन हेतु कई मर्तबा निवेदन किया, परन्तु प्रतिवादी द्वारा विभाजन किये जाने में कोई तत्परता नही दिखाने से वादी को माननीय न्यायालय आप में उक्त वाद संस्थित करना आवश्यक होने से पेश किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजियात का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन की डिक्री पारित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः निवेदन किया गया कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजियात का विधिक विभाजन बाई मिट्स एण्ड बांउडस के आधार पर किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन मय नकल वाद पत्र के तलब किये गये। प्रतिवादीगण बावजुद सूचना एवं सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रकरण में जवाब पेश नही होने से तनकियात कायम नही की गई। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने वादपत्र में अंकित किये है।

हमनें विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी के अवलोकन से वादग्रस्त आराजियात के वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार है। वादीगण वादग्रस्त आराजियात का बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन चाहते है। प्रतिवादीगण बावजुद सूचना एवं सम्मन तामिल के अनुपस्थित रहे है, जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण को भी भूमि के विभाजन में कोई आपत्ती नही है। उक्त तथ्यों के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा कालीभींत पटवार क्षेत्र कालीभींत तहसील लसाडिया जिला उदयपुर की जमाबन्दी संवत 2058 से 2061 के खाता संख्या 12 में वर्णित आराजियात किता 04 कुल रकबा 6 बीघा 1 विश्वा भूमि का पक्षकारान के मध्य हिस्से अनुसार अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान्त के आधार पर बाईमिट्स एण्ड बाउड्स के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र बी. पाटीदार)
उपखण्ड अधिकारी (राज.)
लसाडिया उदयपुर

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी लसाडिया जिला उदयपुर (राज.)

प्रारम्भिक वाद डिक्री

पीठासीन अधिकारीः— सुरेन्द्र बी पाटीदार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 09/2012

वादी पक्ष

1. श्री मांगीलाल पिता प्यारा मेघवाल निवासी कालीभींत तहसील लसाडिया।

बनाम

1. मृतक श्री चुन्नीलाल पिता श्री प्यारा मेघवाल के बजाय
   1/1 श्रीमती गीता पत्नी चुन्नीलाल मेघवाल निवासी कालीभींत तहसील लसाडिया।
   1/2 श्री ललीत पिता चुन्नीलाल मेघवाल निवासी कालीभींत तहसील लसाडिया।
   1/3 श्री भरत पिता चुन्नीलाल मेघवाल निवासी कालीभींत तहसील लसाडिया।
   1/4 श्रीमती कला पुत्री चुन्नीलाल मेघवाल पत्नी भेरूलाल मेघवाल निवासी अमीराम तहसील बडीसादडी जिला चित्तोडगढ।
   1/5 श्रीमती सीमा पुत्री श्री चुन्नीलाल मेघवाल पत्नी प्रभुलाल मेघवाल निवासी जयसिंहपुरा तहसील बडीसादडी जिला चित्तोडगढ।
   1/6 श्रीमती मंजु पुत्री श्री चुन्नीलाल मेघवाल पत्नी कैलाश मेघवाल निवासी हाटोला तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ।
2. श्री भंवरलाल पिता प्यारा मेघवाल निवासी कालीभींत तहसील लसाडिया ।
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार लसाडिया।

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

उपस्थित— वादी की ओर से— श्री मुकेश चोबीसा

प्रतिवादी की ओर से— एक तरफा

पत्रावली अन्तिम निपटारे के लिये आज दिनांक 29.11.2021 को प्रस्तुत होने पर वादीगण का वाद बहक वादी डिक्री किया जाता है एवं मौजा कालीभींत पटवार क्षेत्र कालीभींत तहसील लसाडिया जिला उदयपुर की जमाबन्दी संवत 2058 से 2061 के खाता संख्या 12 में वर्णित आराजियात किता 04 कुल रकबा 6 बीघा 1 विश्वा भूमि का पक्षकारान के मध्य हिस्से अनुसार अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान्त के आधार पर बाईमिट्स एण्ड बाउड्स के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है।

(सुरेन्द्र बी पाटीदार)
उपखण्ड़ अधिकारी
लसाडिया उदयपुर